NAGAR PALIK NIGAM, BHILAI

NIT

रामनगर मुक्तिधाम परिसर में रखरखाव कार्य (वार्षिक कार्य)

(ITEM RATE)

Sr. No.	Particulars	Qty.	Unit
1	रामनगर मुक्तिधाम मे जलाने हेतु लकड़ी तौलकर स्थल पर ले जाने एवं जमाने का कार्य तथा 24 घंटे मुक्तिधाम परिसर की चौकीदारी एवं भवनो की साफ सफाई का वार्षिक कार्य एवं रामनगर मुक्तिधाम परिसर मे स्थित पुराने पेड़, पौधे, लान एवं उद्यान का रखरखाव। (अनुमान सहित)	14x27x12=4536	Each

ASSTT.ENGINEER
Nagar Palik Nigam, Bhilai

SUB ENGINEER
Nagar Palik Nigam, Bhilai

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

नियम व शर्ते

1. निविदादाता द्वारा नगर पालिक निगम, भिलाई में श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु सहायक श्रमायुक्त द्वारा प्रदत्त जीवित अनुज्ञप्ति एवं EPF तथा ESI Code से संबंधित अभिलेख/प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
2. एन.जी.ओ. होने की स्थिति समिति का पंजीयन प्रमाण – पत्र बायलाज, पदाधिकरियो की सूची अभिप्रमाणित प्रति संस्था का पैन नम्बर (परमानेन्ट एकाउंट नम्बर) की तीन साल की आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
    1. निगम में पंजीकृत ठेकेदार होने की स्थिति में :–
    2. वैध लेबर लायसेंस की छायाप्रति
    3. निगम में ठेकेदार हेतु पंजीकृत वैध प्रमाण पत्र की छाया प्रति
    4. ठेकेदार का पैन नम्बर
    5. दो साल की आडिट रिपोर्ट की छाया प्रति
    6. सामान प्रकृति के कार्य का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र
3. अनुबंधित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिक के संबंध में एक शपथ पत्र रू. 50.00 स्टाप पेपर में नोटरी कराकर इस आशय के साथ देना होगा कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालको एवं हेल्परों के विरूद्ध किसी प्रकार की न्यायालीन या पुलिस थाना में कोई प्रकरण दर्ज नही है। उपलब्ध कराये गये श्रमिकएवं हेल्पर पाक–साफ है।
4. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिक से कोई दुर्घटना होती है या वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी निविदाकार की होगी।
5. कार्य प्रतिदिन 8 घन्टे की कार्य अवधि का है, परंतु आवश्यकता अनुसार श्रमिक को कार्य पर बुलाया जा सकता है। बुलाये गये समय पर श्रमिक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदाकार होगी। कार्य के समय में भी परिवर्तन किया जा सकता है परिवर्तित समय पर भी श्रमिक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
6. निविदा के संपूर्ण भाग निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम के आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा इसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नही होगी ।
7. अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि तक कार्य नही छोड सकेगा और न ही किसी अन्य को हस्तातरंण कर सकेगा। यदि अनुबंध की बीच की अवधि मे कार्य छोड़ गया तो पुनः निविदा बुलाकर हानि की क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता से की जा सकेगी। उनकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी।
8. निविदाकार समस्त व्यय एवं शासन द्वारा अधिरोपित समस्त कर सहित निविदा दर प्रस्तुत करेगा।
9. निविदादाता द्वारा (1) वैध अनुज्ञप्ति, (2) आयकर विवरणी विगत दो वर्षो की, (3) पेन कार्ड की छाया प्रति, (4) यदि एन.जी.ओ. स्व. सहायता समूह हो तो संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, अवधि गत तीन वर्षो की आडिट रिपोर्ट, (5) निविदाकर द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे (संस्था को) किसी भी शासकीय संस्था में दिवालिया/काली सूची में नही किया गया है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की छायाप्रतिस्वः प्रमाणित **Speed Post**के माध्यम से **जोन क्रमांक–02 वैशाली नगर, पानी टंकी यूको बैक के पासदिनांक 12/04/2021, सायं 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकेगी।**
10. शासन के घोषित दर नियमो व न्यूनतम वेतन दरों से कम वेतन का भुगतान नियोजित कर्मचारियों को नही किया जावेगा। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी निविदाकर्ता (अनुबंधित एजेंसी) की होगी ।

11. सहायक श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दैनिक/मासिक वेतन की न्यूनतम दर से कम की दरे निविदा में प्राप्त होने पर उक्त निविदा प्रस्ताव पर विचार नही किया जावेगा। ऐसी निविदा प्रस्ताव विचार योग्य नही होगी।
12. छ.ग. शासन में सभी प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम श्रम नियमों/संविदा मजदूरी व भविष्य निधि तथा दुर्घटना बीमा आदि का नियमानुसार जमा करने की जवाबदारी संबंधित एजेंसी की होगी। किसी प्रकार की शिकायत आदि का निराकरण करने की जवाबदारी निविदाकर्ता (अनुबंधित एजेंसी) की होगी।
13. सहायक श्रम आयुक्त द्वारा समय-समय पर श्रमिक के पारिश्रमिक में वृद्धि की जाती है तो एजेंसी को बढ़े हुए दर पर श्रमिकों को भुगतान किया जाना होगा तथा बढ़ी हुई दर का भुगतान एजेंसी को निगम द्वारा सक्षम स्वीकृत उपरांत किया जावेगा।
14. प्रत्येक माह निष्ठा/निगम में प्रचलित तात्कालिक पद्धति के माध्यम से ही श्रमिको की उपस्थिति दर्ज किया जायेगा। जिसके आधार पर ही वेतन देयक का भुगतान किया जायेगा।
15. प्रत्येक माह की 10 तारीख तक श्रमिक का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा एवं कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी बीमा (EPF एवं ESI)की राशि का चालन माह के 10 तारीख के पूर्व जमा कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रति दिवस विलम्ब हेतु आरोपित दाण्डिक शुल्क वसूल किया जावेगा।
16. प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कर्मचारी भविष्यनिधि तथा अन्य सभी प्रचलित संबंधित शासकीय नियमो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विभिन्न नियमों का पालन करने तथा निर्धारित राशि जमा करने का उत्तरदायित्व अनुबंधित एजेंसी का होगा।
17. अनुबंधित एजेंसी को निगम के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा निविदा नियम शर्तो का उल्लंघन करने पर निविदाकार को जमा निविदा धरोहर राशि को राजसात कर अनुबंध निरस्त कर अन्य निविदाकर से कार्य कराया जावेगा।
18. प्रस्तुत दर न्यूनतम मजदूरी से कम या उसके बराबर नहीं होनी चाहिए।
19. जो न्यूनतम भुगतान दर ई.पी.एफ. राशि, ई.एस.आई. राशि और सरकार द्वारा घोषित श्रम कानूनों से कम है, प्लेसमेंट कर्मचारियों को देय नहीं होगा, जिनकी सारी जिम्मेदारी एजेंसी द्वारा ली जाएगी। उक्त बात का ध्यान एजेंसी को वित्तीय ऑफर प्रस्तुत करते समय रखना होगा। यदि एजेंसी द्वारा प्रस्तुत निविदा दर श्रम आयुक्त द्वारा निविदा के समय लागू दर से कम या उसके बराबर है तो प्रस्तुत दर पर विचार नहीं किया जाएगा और खारिज कर दिया जाएगा।

निविदा की न्यूनतम दर (निविदा स्वीकृत) स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के भीतर ठेकेदार को उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबंध नही करने पर प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य निविदाकारों या स्वसहायता समूह से कार्य कराया जावेगा जिसके संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नही होगा।

नगर पालिक निगम एवं अनुबंधकर्ता के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निगम आयुक्त का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

जोन आयुक्त
(जोन क्र.-02)
नगर पालिक निगम,
भिलाई।